

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 1977/आषाढ 13, 1899

No. 285]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 1977/ASADHA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July 1977

S O. 520(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the Vice-President acting as President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely —

1 (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty second Amendment) Rules, 1977

(2) They shall come into force at once

2 In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules) in the First Schedule—

(a) under the heading “6 Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)”, after entry (ii) the following entry shall be inserted, namely—

“(iii) Department of Revenue (Rajaswa Vibhag);

(b) the heading “6A Department of Revenue and Banking (Rajaswa aur Banking Vibhag)” shall be omitted

3 In the Second Schedule to the said rules,

(a) under the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)” under sub-heading “A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)”, for items VIII and IX and the entries

thereunder, the following items and entries shall be substituted, namely:—

“VIII Insurance

- 33 Policy relating to General Insurance, Administration of the Insurance Act, 1938, Insurance Companies Association Pool, Subsidiaries of the Life Insurance Corporation.
- 34 Policy relating to Life Insurance; Nationalisation of the Life Insurance Business, Administration of the Life Insurance Corporation Act, 1956, Life Insurance Tribunal.
- 35 Office of the Controller of Insurance.
- 36 The responsibility of the Central Government relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the entries from 33 to 35 above

IX Banking

- 37 All Indian banks, whether nationalised or not
 - 38 All foreign banks so far as their operations in India are concerned.
 - 39 All matters relating to the Reserve Bank of India.
 - 40 All matters relating to Co-operative Banking which are the concern of this Department.
 - 41 All matters relating to long term financial institutions excluding Unit Trust of India, Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation.
 - 42 Chit Funds and other non-banking companies accepting deposits
 - 43 Other matters relating to Banking in India.
 - 44 Administration of all Statutes, Regulations and other laws connected with entries from 37 to 43 above.”
- (b) for the heading “DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (RAJASWA AUR BANKING VIBHAG)” and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely:—

“C. DEPARTMENT OF REVENUE (RAJASWA VIBHAG)

1. All matters relating to Central Boards of Revenue.
- 2 Stamp duties on bills of exchange, cheques, promissory notes bills of lading, letters of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts
- 3 Supply and distribution of all kinds of stamps
- 4 All questions relating to income-tax (except questions relating to the Income-tax, Appellate Tribunal), Corporation tax, capital gains tax, excess profits tax, business profits tax and estate duty, wealth-tax, expenditure tax and gift-tax and also questions relating to Railway Passenger Fares Act
- 5 Administration of excise in the Union Territories, i.e. all questions relating to—
 - (a) Alcoholic liquors for human consumption
 - (b) Opium, Indian hemp and narcotic drugs and narcotics
- 6 Medical and toilet preparations containing alcohol, or any substance included in 5(b)
- 7 Opium, as regards cultivation, manufacture and sale for export
8. International agreements relating to dangerous drugs and their implementation
- 9 All matters relating to Customs (Sea and Land) including the Customs Tariff Act, 1975, Tariff valuations, Customs Cooperation Council, Customs nomenclature and similar matters, duties on goods imported or exported; prohibitions and restrictions on imports and exports imposed in the interest of revenue; and interpretation of Customs Tariff
10. All matters relating to Central Excise and Gold Control Administration.

11. Sales Tax —

- (i) The administration of Sales-Tax Laws Validation Act, 1956.
- (ii) Levy of tax on sales in the course of inter-state trade or commerce—problems arising out of the administration of the Central Sales Tax Act, 1956
- (iii) Declaration of goods as of special importance in inter-State trade or commerce under article 286(3) of the Constitution—laying down of the conditions and restrictions to which the State laws providing for the levy of tax on them would be subjected
- (iv) All questions relating to replacement of sales tax by additional excise duty including administration of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957
- (v) All Bills, etc relating to sales-tax levy in States coming up for the previous instructions, recommendations or assent of the President
- (vi) Legislative matters concerning sales-tax in the Union Territories.
- (vii) Problems arising out of the invalidation of sugarcane cess levies of States including validation of such levies.

12 All matters relating to pre-partition duty refund claims on salt.

13 Subordinate Organisations —

- (a) Income-tax Department,
- (b) Customs Department,
- (c) Central Excise Department; and
- (d) Narcotics Department.

14 Preventive detention for reasons connected with the conservation of foreign exchange or prevention of smuggling, persons subjected to such detention.

15 Enforcement, viz investigation, adjudication and prosecution of cases arising out of breaches, under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, the Directorate-General of Revenue Intelligence-cum-Directorate of Enforcement.”.

B. D. JATTI,

Vice-President acting as President.

[No. 74/2/1/77-CF]

R C BHARGAVA, Jt. Secy.

संश्लेषण सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1977

का० आ० 530(अ).—राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत उप-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सी बाईसवां सशोधन) नियम, 1977 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2 भारत सरकार (कार्य-आवटन) नियम, 1961, (जिसे हममें इसके "पञ्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, प्रथम अनुसूची में—

(क) "6 वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि (ii) के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(iii) राजस्व विभाग",

(ख) "6F राजस्व और बैंकिंग विभाग" शीर्षक हटा दिया जाएगा।

3 उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में,

(क) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "आर्थिक कार्य विभाग" उपशीर्षक के अन्तर्गत, मद i और ix तथा उनके अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्—

"VIII. बीमा

सामान्य बीमा; बीमा अधिनियम का प्रशासन अधिनियम, 1938; बीमा कम्पनियाँ संगम रूल, जीवन बीमा निगम की समनुपगियों से सम्बन्धित नीति।

34 जीवन बीमा, जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण, जीवन बीमा निगम का प्रशासन अधिनियम, 1956, जीवन बीमा अधिकरण से सम्बन्धित नीति।

35 बीमा नियंत्रक का कार्यालय।

36 उपर्युक्त 33 से 35 तक की किसी भी प्रविष्टि के सम्बन्ध में केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से सम्बद्ध मामलों के विषय में केन्द्र सरकार का दायित्व।

IX बैंकिंग

37. सभी भारतीय बैंक, चाहे राष्ट्रीयकृत हो या नहीं।

38 सभी विदेशी बैंक जहाँ तक भारत में उनके प्रचालन का सम्बन्ध है।

39 भारतीय रिजर्व बैंक से सम्बन्धित सभी मामले।

40 सहकारी बैंकिंग से सम्बन्धित वे सभी मामले जिनका इस विभाग से सम्बन्ध है।

41 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, और सामान्य बीमा निगम के अतिरिक्त, दीर्घकालिक वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सभी मामले।

42. चिट फंड तथा निक्षेपों का प्रतिग्रहण करने वाली अन्य गैर-बैंकिंग कम्पनियाँ।

43. भारत में बैंकिंग से सम्बद्ध अन्य मामले।

44. उपर्युक्त 37 से 43 प्रविष्टियों से सम्बद्ध सभी कानूनों, विनियमों और अन्य विधियों का प्रकाशन।

(ख) शीर्षक "राजस्व और बैंकिंग विभाग" तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्—

"ग राजस्व विभाग

1 केन्द्रीय राजस्व बॉर्डरों से सम्बन्धित सभी मामले।

- 2 विनिमय पत्रों, चैको, रुककों, वट्टन पत्रों, साख पत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के हस्तातरणों, डिबेंचरों, परेतापत्रों और रसीदों पर स्टाम्प शुल्क ।
- 3 सभी प्रकार के स्टाम्पों की पूर्ति और वितरण ।
- 4 आय-कर (आय-कर अपील अधिकरण से सम्बद्ध प्रश्नों को छोड़कर), निगम-कर, पूँजी लाभ कर, अविलाभ-कर, कारबार लाभ कर और सम्पदा-शुल्क, धन-कर, व्यय-कर और दान कर से सम्बन्धित सभी प्रश्न तथा रेल यात्रा भाड़ा अधिनियम में भी सम्बन्धित प्रश्न ।
- 5 मध्य राज्यक्षेत्रों में उत्पाद-शुल्क का प्रशासन, अर्थात्, निम्नलिखित में सम्बद्ध सभी प्रश्न :—
 - (क) मानव उपभोग के लिए ऐल्कोहलिक लिकर ।
 - (ख) अफीम, गाजा और स्वापक औषधियाँ और स्वापक ।
- 6 ऐल्कोहलमय औषधियाँ और प्रमाधन निर्मितियों अथवा 5(ख) में सम्मिलित कोई पदार्थ ।
- 7 अफीम, जहाँ तक निर्यात के लिए उसकी कृषि, विनिर्माण और विक्रय करने का सम्बन्ध है ।
- 8 खतरनाक औषधियों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय करार और उनका कार्यान्वयन ।
- 9 सीमा-शुल्क (समुद्र और स्थल) में सम्बन्धित सभी मामले जिनमें भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1975, टैरिफ मूल्यांकन, सीमा-शुल्क सहयोग परिषद्, सीमा-शुल्क नामावली तथा इसी प्रकार के अन्य मामले सम्मिलित हैं, आयातित अथवा निर्यातित माल पर शुल्क, राजस्व के हित में आयातों और निर्यातों पर लगाए गए प्रतिषेध और निर्वन्धन, और सीमा-शुल्क टैरिफ का निर्वचन ।
- 10 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण प्रशासन से सम्बन्धित सभी मामले ।
11. बिक्री कर :—
 - (i) बिक्री कर विधियों का प्रशासन (विधिमान्यता) अधिनियम, 1956 ।
 - (ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रशासन से उत्पन्न होने वाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अथवा वाणिज्य समस्याओं के दौरान बिक्रियों पर कर का उद्ग्रहण ।
 - (iii) मविधान के अनुच्छेद 286(3) के अधीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अथवा वाणिज्य के लिए विशेष महत्व का माल घोषित करना—वे शर्तें और निर्वन्धन अधिकथित करना जिनके अध्वधीन उक्त माल के ऊपर कर उद्ग्रहण की व्यवस्था करने वाली राज्य-विधियाँ होंगी ।
 - (iv) बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने से सम्बद्ध सभी प्रश्न जिनमें अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का प्रशासन सम्मिलित है ।
 - (v) राज्यों में बिक्री कर उद्ग्रहण से सम्बद्ध वे सभी विधेयक आदि जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुवेशो, सिफारिशों अथवा सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाए ।

- (vi) सघ राज्यक्षेत्रों में बिजली कर से सम्बन्धित विधायी मामले ।
- (vii) राज्यों में गन्ना उप-कर उद्ग्रहण की अविधिमान्यता, जिससे इस प्रकार के उद्ग्रहणों की विधिमान्यता भी है, के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएँ ।
12. नमक पर विभाजन-पूर्व शुल्क प्रतिदाय सम्बन्धी दावों से सम्बन्ध सभी मामले ।
13. अधीनस्थ संगठन :—
- (क) आयकर विभाग ;
 - (ख) सीमा-शुल्क विभाग ;
 - (ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग ; और
 - (घ) नार्कोटिक विभाग
14. विदेशी मुद्रा के संरक्षण अथवा तस्करी निवारण से सम्बद्ध कारणों से निवारक निरोध, इस प्रकार निरुद्ध किए गए व्यक्ति ।
15. प्रवर्तन, अर्थात् विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन भंगता के कारण उद्भूत होने वाले मामलों का अन्वेषण, न्याय-निर्णयन और अभियोजन, राजस्व आसूचना महानिदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय ।” ।

बसप्पा दानप्पा जल्ली,

भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति ।

[स० 74/2/1/77-सी० एफ०]

आर० सी० भार्गव, सयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1977